

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सीमित निविदा सूचना

क्रमांक—प.21(132) / समं.एवं व्यव./टैन्ट/पार्ट-2/22-23/87

दिनांक: 30.06.2023

आयोग कार्यालय में साक्षात्कार एवं काउंसलिंग की व्यवस्था हेतु समय—समय पर आवश्यकतानुसार टैन्ट सामग्री उपलब्ध कर लगवाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु वार्षिक दर पर अनुबंध करने हेतु संबंधित फर्मों, अधिकृत सर्विस केन्द्रों/डीलरों आदि से सीलबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

कार्य का विवरण निम्नप्रकार है:—

	कार्य	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	निविदा शुल्क	बिड प्रपति की अन्तिम तिथि 05.07.2023 व समय 1:00 बजे तक	बिड खोलने की तिथि 05.07.2023 व समय 3:00 बजे	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (5%)
1.	टैन्ट सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु	1.99	200/-			9950/-

बिड प्रपत्र एवं शर्तें www.rpsc.rajasthan.gov.in एवं <http://soppo.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

उप सचिव

क्रमांक— प.21(132) / समं.एवं व्यव./टैन्ट/पार्ट-2/22-23/87

दिनांक:—30.06.2023

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी आई.टी.सेल को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

उप सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

बिड जमा कराने की अन्तिम तिथि
05.07.2023
अपराह्न 1.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र

आवश्यकतानुसार टैन्ट सामग्री उपलब्ध कर लगवाने आदि के लिए सीमित निविदा

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
दूरभाष / मोबाइल नम्बर एवं डाक का पता
- खाता संख्या.....
बैंक का नाम शाखा का नाम बैंक
2. किसको संबोधित की गई :- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संदर्भ - सीमित निविदा सूचना संख्या दिनांक :
4. हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी सीमित निविदा सूचना सं.....
शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर की सुपुर्दगी आयोग को आवश्यक रूप से देनी होगी।
6. वित्तीय निविदा में उद्धत की गयी दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
7. जी.एस.टी.पंजीयन सं.....पेन नम्बर की प्रति संलग्न है, इनके अभाव में बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती हैं तो बिड को अस्वीकृत करने/ शर्तों को अमान्य करने का अधिकार आयोग को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

-:03:-

वित्तीय बिड

इस बिड से सम्बन्धित सभी प्रतिबंध एवं शर्तों को हमने/मैंने पढ़ लिया है और ये प्रतिबंध एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं तथा आवश्यकतानुसार टैन्ट सामग्री एवं बिड में उल्लेखित समस्त कार्यों के सम्बन्ध में दरें निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

क्र. स.	कार्य का विवरण	कार्य की राशि (समस्त करों व चार्जेज सहित) राशि अंकों में एवं राशि शब्दों में प्रतिदिन प्रति नग
1.	प्लास्टिक कुर्सियाँ	
2.	कुशन कुर्सियाँ	
3.	टेबल मायका	
4.	टेबल कवर	
5.	कपड़े का पाण्डाल टैन्ट लोहे के पाईपो पर अनुसार प्रति नग साईज (15x15)	
6.	वाटर फ्रूफ पाण्डाल टैन्ट लोहे के पाईपो पर अनुसार प्रति नग साईज (15x15)	
7.	टैन्ट पर्दे अनुसार प्रति नग साईज (10x15)	
8.	कनात अनुसार प्रति नग साईज (7x15)	
9.	कारपेट	
10.	तकत	
11.	टेबल फ्रिल	
12.	सोफा सेट	

नोट :- 1. निविदादाता समस्त कर व चार्जेज सहित अपनी दरें प्रस्तुत करेगा।

2. निविदा से सम्बन्धित कार्य का विवरण, नियम एवं शर्त संलग्न हैं जिनका अध्ययन अवश्य कर लिया जावें। मैं/हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। सफल निविदादाता द्वारा उक्त सामग्री आयोग कार्यालय में पहुचाने, लगवाने एवं उतार कर लेजाने का आयोग द्वारा अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता :

नाम :

पूरा पता :

:

मोबाइल नम्बर :

Email :

राजस्थान लोक सेवा आयोग , अजमेर

निविदा के लिये शर्तें

राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर में आवश्यकतानुसार टैन्ट सामग्री वार्षिक दर संविदा सीमित निविदा द्वारा स्वीकृत करने हेतु टर्म्स एवं कंडिशन (शर्तें) निम्नांकित होगी ।

1. निविदाएँ लिफाफे उचित रूप से मोहर बंद होनी चाहिए ।
2. टैन्ट सामग्री कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं से दर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है उक्त कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जायेगा जिसकी अधिकतम राशि 1.99 लाख तक होगी ।
3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेताधिकारी को लिखित में निविदादाताओं द्वारा दी जायेगी।इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा ।
4. निविदा प्रारूप स्याही से अथवा टंकण से भरा जायें। पेंसिल से भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की शर्तों को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र देगा ।
5. दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां/कांट-छांट नहीं होनी चाहिये। यदि किसी प्रकार की शुद्धि करनी है वह स्पष्ट रूप से मय अपने लघु हस्ताक्षर के करनी चाहिये।
6. दरें समस्त करों सहित देनी होगी ।
7. दरें एफ.ओ.आर. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर स्वीकार की जायेगी ।
8. विधि मान्यता-निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।
9. निविदादाता अपनी अनुमोदित दर का या उससे सार्वान्व भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेंगा उप भाड़े पर नहीं देगा ।
10. निविदा में वर्णित कार्य क्रेता अधिकारी के संतुष्टी के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई कर एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है एवं इस प्रकार निरीक्षण करने के समय भी निविदा निरस्त कर सकता है इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को भी अभिलिखित करेगा ।
11. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनहिता होगी ।
12. सुपुर्दगी अवधि सफल निविदादाता को सप्लायी आदेश जारी होने की तिथि से आदेश में दिये गये कार्यदिवस में सप्लाई/पूर्ण करनी अनिवार्य होगी ।
13. सफल निविदादाता को आदेश जारी होने कि तिथि से 07 कार्य दिवस के भीतर अनुमानित क्रय लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रु. 9950/- के एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैंकर चैक के रूप में जमा कराना होगा । तथा एक प्रारूप में करार करना होगा । सिक्योरिटी राशि दर प्रस्ताव की अवधि जो कि क्रय आदेशानुसार संतोषजनक सप्लाई होने अथवा फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार के बकाया न होने के प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी । (2)सिक्योरिटी राशि का समपहरण-सिक्योरिटी राशि का पूर्ण/आंशिक समपहरण निम्नलिखित मामलों में किया जायेगा ।

1. जब सीमित निविदा व क्रय आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया हो।
2. जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
3. सिक्योरिटी राशि को समर्पहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय में पूर्व नोटिस दिया जायेगा इस सबन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
4. करार पत्र पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा विभाग को उस करार पत्र कि एक स्टाम्प सुदा प्रति प्रस्तुत की जायेगी।
14. भुगतान— प्राप्त माल का राजकीय नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने या न्यूनतम दर वाली निविदा रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
16. सशर्त एवं तार द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं होगी।
17. सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
18. निविदा में दर्शायी मात्रा में कमी/वृद्धि करने का अधिकार क्रेता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
19. (1) कार्य आदेश में सुपुर्दग्गी के लिये दिया गया समय अन्तिम होगा तथा सफल निविदादाता को आदेश में निर्धारित अवधि में सप्लायी करनी होगी। जो अधिकतम 5 दिवस होगी।

(2) वसूलिया— सप्लायी किये गये सामान में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर, क्षय होने पर, टूट फुट होने पर राशि बिल में से काटी जायेगी यदि सप्लायी टूटे या कम पाये सामान समय पर संतोषजनक ढंग से नहीं बदलता है तो उसके देय राशि एवं प्रतिभूति राशि में से उसकी वसूली की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या पर्वत किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी।
20. टैन्ट सामग्री अच्छी क्वालिटी व सही होना चाहिये, सही नहीं होने पर निविदादाताओं को सामग्री बिना अतिरिक्त चार्ज लिये पुनः अपने खर्च पर ठीक कर देना होगा।
21. निविदा में दी गई दरें एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। जिसे RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
22. निविदा प्रपत्र मूल ही स्वीकार किये जायेंगे।
23. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा उसने निविदा में अंकित सामग्री आदि अंकित दरें से कम कीमत पर किसी भी ग्राहक का कार्य नहीं किया है।
24. शर्तों के अनुसार सम्पादित हानि की कटौती फर्म के बिलों में से काटी जायेगी।
25. सभी प्रकार के करों की कटौति राजकीय नियमानुसार की जावेगी।
26. निविदा पर अधिनियम RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधान प्रभावशील होंगे।
27. जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

28. दरें स्वीकार होने पर आयोग द्वारा दिये गये आदेशानुसार सर्विस/मरम्मत शीघ्रतिशीघ्र करना होगा।
29. किसी भी प्रकार की कमी/खराबी आती है तो उसे बदलने/ठीक करने की जिम्मेदारी अनुमोदित निविदादाता की होगी।
30. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
31. केता अधिकारी करों का पृथक से भुगतान नहीं करेगा। करों के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
32. देय कर/जीएसटी का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
33. कार्यादेश से पांच दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर आयोग सचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता/बाजार से कार्य करवाए जा सकेंगे जिस पर हुए अतिरिक्त/सम्पूर्ण व्यय की राशि सफल निविदादाता से वसूल कर ली जायेगी।
34. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली बिड़ों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
35. किसी भी बिड अथवा समस्त बिड़ों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को होगा।
36. अवकाश के दिवसों का भुगतान नहीं किया जावेगा।
37. मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें एवं नियम पढ़ लिये हैं तथा मैं/हम इससे पूर्णतः सहमत हैं।
38. न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील